न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5-7 · 25/2024	

27/1 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सा. आज अदालती कार्य का स्थगन रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/5/24 पेश हो। 2

17/5/20 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दागर कार्य मे व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 15/5/20 को पेश हों।

15/05/2025

पत्रावली पेश हुई। वकिल वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकिल वादी सुनी गई। दौराने बहस वकिल वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एव तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं बहस वकिल वादी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादी के पिता का देहान्त होने पर विरासत के आधार पर खातेदारी दर्ज कराये जाने की कार्यवाही करने पर वादग्रस्त आराजी के अलावा खाता संख्या 107 व 116 की भूमियों में वादी का नाम अंकित हो गया किन्तु वादग्रस्त आराजी में वादी को पिता की विरासत से प्राप्त खातेदारी अधिकारो की बाबत जमाबन्दी में अंकन करने के समय वादी का नाम सहवन से [illegible] से रह गया जबकि वादी की माता व भाई [illegible] का नाम जमाबन्दी में दर्ज कर दिया गया। [illegible] वादी का नाम अन्य खातों की भूमियों में दर्ज किया हुआ हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार पाटन की रिपोर्ट से होती हैं। अत: उपरोक्त तथ्यों के आलोच्य में वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:25:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख जो इस हुक्म तामील में जारी

निर्णय

तन ग्राम धांधेला प0ह0 राजपुरा तहसील पाटन अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख.नं. 657/1, 658/1, 662/2 कुल किता 3 कुल रकबा 1.57 है0 में वादी को अपने पिता की विरासत से खातेदारी अधिकार स्वीकार किया जाने हेतु भरा गया नामान्तरकरण सं0 635 के अनुसार उक्त वर्णित भूमियों में वादी का नाम अंकित कर वारिसान का हिस्सा दुरूस्त किया जाने की घोषणा की जाती हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 15.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)नीमकाथाना

सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:25:22 IST
Reason: SelfAttested

डिकी मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. कैलाश पुत्र औंकार जाति माली निवासी धांधेला तहसील पाटन जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पाटन जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा

मुकदमा नं. 25 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री मुकेश कुमार सैनी एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तन ग्राम धांधेला प0ह0 राजपुरा तहसील पाटन अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख.नं. 657/1, 658/1, 662/2 कुल किता 3 कुल रकबा 1.57 है0 में वादी को अपने पिता की विरासत से खातेदारी अधिकार स्वीकार किया जाने हेतु भरा गया नामान्तरकरण सं0 635 के अनुसार उक्त वर्णित भूमियों में वादी का नाम अंकित कर वारिसान का हिस्सा दुरूस्त किया जाने की घोषणा की जाती हैं।। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो**

.निज.....................मुबलिग...बाबत..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें। बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 15 माह 05 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर (F.T.)
दस्तखत..........
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:25:22 IST
Reason: SelfAttested